निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मांगीलाल पुत्र श्री केसरलाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सांझरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय श्री विष्णु गोयल
2. ईश्वरलाल पुत्र श्रीनारायण
3. कालूराम पुत्र श्रीनारायण
4. रूडमल पुत्र श्रीनारायण
5. हीरालाल पुत्र श्रीनारायण

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सांझरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 163/2022 ब उनवानी मांगीलाल बनाम केसरलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री एच.एन. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भगवानसहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 163/2022 ब उनवानी मांगीलाल बनाम केसरलाल दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से श्री भगवानसहाय शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष एक वाद संख्या 163/2022 ब–उनवानी मांगीलाल बनाम केसरलाल बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है। इसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसमें सुनवाई की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के हक में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को तामील हेतु नोटिस जारी करते हुये अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 10.01.2023 मुकर्रर कर दी गई। दिनांक 10.01.2023 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये और पत्रावली वास्ते जवाब दावा, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 18.01.2023 मुकर्रर कर दी। दिनांक 18.01.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र एवं जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ एवं नोटिस भी जारी नहीं हुये। पत्रावली में दिनांक 24.01.2023, 03.02.2023, 06.02.2023 को मुकर्रर की गई किन्तु जवाब दावा, जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता जब न्यायालय में हाजिर हुये तो कहा गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस की जा चुकी है आप भी अपनी बहस कर दो। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब पेश करने के लिये समय चाहा। लेकिन न्यायालय द्वारा प्रकरण बहस हेतु दिनांक 09.02.2023 नियत कर दी गई। पत्रावली में तारीख पेशी इतनी नजदीक दी जा रही है कि ना तो नोटिस तामील की गुजांइश है ओर ना ही नोटिस जारी किये हुये। अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्य पक्षकारान की अभी तामील नहीं हुई ना ही उनकी तरफ से कोई उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस अकेले चार अप्रार्थीगण के साथ किस प्रकार की जा सकती है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने कहा कि आपका स्टे शीघ्र ही खारिज करवा देगे चाहे शेष पक्षकारों की तामील हो या नहीं हो। हमारी पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है। प्रार्थी अधिवक्ता नें पीठासीन अधिकारी को कहा की मुझे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करना है व अन्य अप्रार्थीगण की भी तामील होने के पश्चात ही बहस करना न्यायोचित होगा। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता को कहा कि जिन अप्रार्थीगण ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के उपर बहस कर दी है आप अपनी बहस कर दो मैं निर्णय करूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करे स्टे को खारिज करा लेगें तो वा अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि अगर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं होने की आंशका हो तो प्रकरण को जयपुर मुख्यालय पर स्थित किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया।
6. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से टिप्पणी प्राप्त की गई।
7. उभय पक्षो के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 द्वारा भी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की सहमति के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को अन्तरण किया जाता है।

9. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 163/2022 व उनवानी मांगीलाल बनाम केसरलाल व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर में उपस्थित हो।

10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

11. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

12. निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर